

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 21.11.2022

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अवैध देशी तमंचा के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में, वांछित अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत प्र0नि0 थाना खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह मु0अ0सं0 641/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त रवि निषाद उर्फ रवि तेजा पुत्र बाल्मिकी निषाद निवासी रामनगर करजहाँ चन्द्रिका टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देसी तमंचा 12 बोर मिला व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 737/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर पंजीकृत करते हुए अप्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रवि निषाद उर्फ रवि तेजा पुत्र बाल्मिकी निषाद निवासी रामनगर करजहाँ चन्द्रिका टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 641/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना खोराबार, गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 737/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 46/2022 धारा 392 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 63/2022 धारा 392,323,504,411 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. प्र0नि0 कल्याण सिंह सागर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सुशील कुमार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 विवेक रंजन थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. का0 अनुराग सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
5. का0 सुरेन्द्र यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
6. का0 दिनेश कुमार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर